राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

अधिकारी :– महीपाल सिंह आर0ए0एस0

संख्या :– 60/2021 प्रा0पत्र

हेमंत कुमार पुत्र बाबूलाल बोहरा जाति महाजन उम्र बालिग नि0 बेमाली

प्रार्थी........

बनाम

श्री बामण माताजी जरिये अध्यक्ष हनुवंत सिंह जाति राजपूत नि0 बेमाली व अन्य

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 06/04/2021

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत दन किया कि ग्राम बेमाली पटवार हल्का बेमाली तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त आराजी नम्बर 3627 खाता संख्या 1442 कुल किता 1 रकबा .0 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा ो होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ ातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19/02/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते िक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........... बेमाली पटवार हल्का बेमाली तहसील करेड़ा में स्थित आराजी 3627 खाता संख्या 1442 कुल किता 1 रकबा............ हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु लेख निरीक्षक बेमाली को 2400 /– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त ा है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करवाने कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान गी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुए मौकील बिन्दु को आधार मानकर की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा